



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 आषाढ़ 1943 (श10)

(सं0 पटना 564) पटना, बृहस्पतिवार, 1 जुलाई 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

1 जुलाई 2021

एस0 ओ0 115 दिनांक 1 जुलाई 2021— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, भारत के कई हिस्सों में महामारी कोवीड-19 के चलते यह अधिसूचित करते हैं कि —

- (i) जहां, किसी भी प्राधिकरण द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए किसी भी समय सीमा को, जो अप्रैल, 2021 के 15 वें दिन से मई, 2021 के 30 वें दिन तक की अवधि के दौरान आता है, उक्त अधिनियम के तहत निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किया गया है, और जहां ऐसी कार्रवाई को पूरी करना या उसका अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं की गई है, तो, निम्न उद्देश्यों सहित के लिए, ऐसी कार्रवाई के पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय सीमा मई, 2021 के 31वें दिन तक बढ़ा दी जाएगी -

- (क) उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किसी भी प्राधिकरण, आयोग या न्यायाधिकरण द्वारा, किसी कार्रवाई को पूरी करना, किसी भी आदेश पारित

करने, किसी नोटिस को जारी करना, सूचना, अधिसूचना, संस्वीकृति या अनुमोदन या इस तरह की अन्य कार्रवाई, जो भी नाम से हो; या

- (ख) उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत, कोई अपील दाखिल करना, कोई भी रिपोर्ट, दस्तावेज, विवरणनी, ब्यान, या ऐसे अन्य रिकॉर्ड को प्रस्तुत करना, जो भी नाम से पुकारा जाता है;
- लेकिन, समय का ऐसा विस्तार उक्त अधिनियम के निम्न प्रावधानों के अनुपालन के लिए लागू नहीं होगा, जैसा कि नीचे वर्णित है -

- (क) अध्याय IV;
- (ख) धारा 10 की उपधारा (3), धारा 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129;
- (ग) धारा 39, परंतु, उपधारा (3), (4) और (5) को छोड़कर;
- (घ) धारा 68, जहां तक ई-वे बिल का संबंध है; तथा
- (ड) ऊपर वर्णित अध्याय और धारा के तहत बनाए गए नियम;

परंतु जहां, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 9 के तहत निर्दिष्ट, या निर्धारित या अधिसूचित किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी भी कार्रवाई को पूरा करने की कोई समय सीमा, जो मई, 2021 के पहले दिन से मई, 2021 के इकत्तीसवें दिन तक की अवधि के दौरान आती है, और जहां ऐसी कार्रवाई ऐसे समय के भीतर पूरी नहीं की गई है, तो, ऐसी कार्रवाई के पूरा करने की समय सीमा, जून, 2021 के पंद्रहवां दिन तक विस्तार किया जाता है।

- (ii) ऐसे मामलों में जहां रिफंड के दावे को, पूर्ण या भाग में, अस्वीकार करने के लिए नोटिस जारी किया गया है, और जहां आदेश जारी करने की समय सीमा धारा 54 उप-धारा (7) के साथ पठित उप-धारा (5) के प्रावधानों के संदर्भ में अप्रैल, 2021 के पंद्रहवें दिन से मई, 2021 के तीसवें दिन तक की अवधि के दौरान आती है, ऐसे मामलों में उक्त आदेश जारी करने की समय सीमा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से नोटिस का जवाब प्राप्ति के पंद्रह दिन बाद या मई, 2021 के इकत्तीसवें दिन, जो भी बाद में हो, तक बढ़ा दिया जाता है।

2. यह अधिसूचना अप्रैल, 2021 के 15 वें दिन से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-9)1110)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

1 July 2021

एस० ओ० 115, दिनांक 1 जुलाई 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-9)1110)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 1st July 2021

S.O. 115, dated 1st July 2021— In exercise of the powers conferred by section 168A of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), in view of the spread of pandemic COVID-19 across many parts of India, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies, as under,-

- (i) where, any time limit for completion or compliance of any action, by any authority or by any person, has been specified in, or prescribed or notified under the said Act, which falls during the period from the 15th day of April, 2021 to the 30th day of May, 2021, and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then, the time limit for completion or compliance of such action, shall be extended upto the 31st day of May, 2021, including for the purposes of--
 - (a) completion of any proceeding or passing of any order or issuance of any notice, intimation, notification, sanction or approval or such other action, by whatever name called, by any authority, commission or tribunal, by whatever name called, under the provisions of the said Act; or
 - (b) filing of any appeal, reply or application or furnishing of any report, document, return, statement or such other record, by whatever name called, under the provisions of the said Act;

but, such extension of time shall not be applicable for the compliances of the following provisions of the said Act, namely: -

 - (a) Chapter IV;
 - (b) sub-section (3) of section 10, sections 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129;
 - (c) section 39, except sub-section (3), (4) and (5);
 - (d) section 68, in so far as e-way bill is concerned; and
 - (e) rules made under the provisions specified at clause (a) to (d) above :

Provided that where, any time limit for completion of any action, by any authority or by any person, specified in, or prescribed or notified under rule 9 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, falls during the period from the 1st day of May, 2021 to the 31st day of May, 2021, and where completion of such action has not been made within such time, then, the time limit for completion of such action, shall be extended upto the 15th day of June, 2021;

- (ii) in cases where a notice has been issued for rejection of refund claim, in full or in part and where the time limit for issuance of order in terms of the provisions of sub-section (5), read with sub-section (7) of section 54 of the said Act falls during the period from the 15th day of April, 2021 to the 30th day of May, 2021, in such cases the time limit for issuance of the said order shall be extended to

fifteen days after the receipt of reply to the notice from the registered person or the 31st day of May, 2021, whichever is later.

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of April, 2021.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-9)1110)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 564-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

IndiaCode